

सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान पट्टा अभियान 2007 के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक झोपडी का कच्चा मकान आबादी भूमि का निर्माण कर लिया है उन्हें 300 वर्गगज तक का भूखण्ड का निशुल्क पट्टा महिला मुखिया के नाम जारी किया जाना था। जो कि गैर निगराकार कम 1 द्वारा नियमों कि पूर्णतया अवहेलना की जाकर उक्त आवासीय आराजीयात ख0न0 1712 का पट्टा जारी कर दिया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा करायी गई जांच मुताबिक उक्त पट्टा ख0न0 1712 में होकर बनाये गये जबकि वर्तमान में उक्त पट्टा भूमि में वार्ड में मकान नहीं होना/ ख0न0 गलत दर्ज/वार्ड संख्या दर्ज नहीं/ आवेदन पत्र हस्ताक्षर नहीं होना/ मौका मिलान नहीं होना आदि मकानों का पट्टा आवासीय बनाया गया जो निरस्त योग्य है। दिनांक 1.06.2010 के पत्र क्रमांक सतर्कता (बैठक) -10/2134/47 कार्यालय जिला कलेक्टर द्वारा जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक 28.05.2010 के पारित आदेश निर्णयानुसार प्रकरणों में कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार कम 1 द्वारा गैरनिगराकार नं0 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9928 दिनांक 27.10.2007 निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो का परीक्षण किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि गैर निगराकार न01 ग्राम पंचायत इटावा द्वारा तत्समय गैर निगराकार न2 को पट्टा 9928 दिनांक 27.10.2007 जारी किया गया था। जिसकी अधिकारिता गैर निगराकार न01 ग्राम पंचायत इटावा को नहीं थी। क्योंकि उक्त भूमि ख0न0 1712 रकबा 1.87 है0 किस्म गै0मु0 आबादी राजकीय भूमि होकर जमाबंदी सम्वत 2062-2065 में खाता संख्या 1 (खाता सरकार) में दर्ज थी। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत इटावा द्वारा राजकीय भूमि पर पट्टा दिनांक 27.10.2007 को जारी किया गया जो विधि अनुरूप नहीं था। चूंकि अब ग्राम पंचायत इटावा के स्थान पर नगरपालिका इटावा बन चुकी है एवं प्रश्नगत भूमि ख0न0 1712 रकबा 1.87 हैक्टर किस्म गै0मु0 आबादी नगरपालिका इटावा को स्थान्तरित होकर नगर पालिका इटावा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब उक्त विवादित भूमि के पट्टे से ग्राम पंचायत का कोई सरोकार नहीं है। चूंकि उक्त भूमि का स्वामित्व नगरपालिका इटावा के पास होने से गुणावगुण के आधार पर नगर पालिका इटावा ही निर्णय ले सकती है। अतः प्रकरण नगर पालिका को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी निगराकार आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका इटावा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि गैर निगराकार पट्टाधारी को नियमानुसार सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर स्वयं के स्तर से निर्णय लेवे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :118/2021 (निगरानी)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें पंचायत समिति इटावा जिला कोटा जयें
विकास अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

(निगराकार)

बनाम

1. ग्राम पंचायत इटावा जयें सरपंच ग्राम पंचायत इटावा जिला कोटा (राज0)
2. श्रीमति उर्मिलाबाई पत्नि लटूरलाल निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(गैरनिगराकार)

उपरिथत :- 1. राजकीय अभिभाषक (निगराकार)


ग्राम पंचायत इटावा के आदेश एवं पट्टा संख्या 9928 दिनांक 27.10.2007
तत्कालीन सरपंच के द्वारा जारी किये गये पट्टे को निरस्त किये जाने बाबत
निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज0 अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक :08.08.2024

निगराकार द्वारा जयें अभिभाषक यह निगरानी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि गैर निगराकार कम 1 द्वारा दिनांक 27.10.2007 पारित आदेश एवं पट्टा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानून के समुचित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैर-निगराकार कम 1 व 2 बाद सूचना अनुपस्थित है। गैर निगराकार कम 1 व 2 एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निगराकार की ओर से पेशेकार सरकार की बहस सुनी गई।

निगराकार की ओर से उपस्थित पेशेकार सरकार का बहस में कथन है कि गैरनिगराकार कम 1 द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गैरनिगराकार कम 2 से मिलीभगत करके सर्वथा नियम व कानून के विपरीत जाकर पट्टा जारी कर दिया है, जो पूर्णतया शून्य है, निरस्तनीय है। गैरनिगराकार कम 1 द्वारा विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार मानते हुए पट्टा जारी करने में भूल की है, जबकि ग्राम पंचायत का अधिकार न होते हुए भी ग्राम पंचायत ने अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गयी जांच रिपोर्ट में भी पट्टा आवासीय आराजीयात में जारी करना बताया गया जिसका ख0न0 1712 है, जिसको गैर निगराकार कम 1 ने राज्य सरकार के नियमों के अनुसार व कानून के विरुद्ध जाकर मनमर्जी से पट्टा जारी किया जो अवैध एवं शून्य है जो निरस्त होने योग्य है। राज्य


अति. जिला कलेक्टर
कोटा